

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्य प्रदेश

क्रमांक / स्था.2 / सी / व्य. / 94 / 09 / 392

भाषा/दिनांक 30/3/10

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं यत्नमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के भत्ता भत्ते इत्यादि का भुगतान नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था / जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री यादोदार गिरिया (हनिवार)	AC 5010	शारदा उ मा.वि.नरसैय, जिला बैतूल	23350977707	शारदा उ मा.वि.बहेला जिला बालाघाट	23450877704

दिनांक 31.3.2010 के उपराले मुक्त किया जाये।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त

लोक शिक्षण मंत्र

भाषा/दिनांक 30/3/10

पृष्ठा क्रमांक / स्था.2 / सी / व्य. / 94 / 09 / 393

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला बैतूल / बालाघाट।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पन्नातयत जिला बैतूल / बालाघाट।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सभागम कार्यालय भोपाल / जव.पुर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला बैतूल / बालाघाट।
7. जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल / बालाघाट। म.प्र. की ओर आग्रह कर 'नेटवर्क' के माध्यम से कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सैक अभिलेख से यह पूर्ण जानकारी स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता के पद स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से अरिपस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत कराये। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को संप्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.2 / सी / व्या / 10 / 2010 / 394

भाषा.दि.नांक 30/3/10

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वर्तमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वच्छता से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ता इत्यादि की प्राप्ति नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का आईस कोड	स्थानांतरित संस्था / जिले का नाम	संस्था / जिले का आईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री जी.पी. झारिया (भूगोल)	AB 5339	शास.बा.उ.मा.वि. मझगाँवा जिला जबलपुर	23390577709	शास.बा.उ.मा.वि. बरगी जिला जबलपुर	23390277709

दिनांक 31.3.2010 के उपरांत मुक्त किया जाये।



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भाषा.दि.नांक 30/3/10

पृष्ठा क्रमांक / स्था.2 / सी / व्या / 10 / 2010 / 395
प्रतिलिपि-

1. निम्न सहायक मान. मंत्री से स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन में प्रेषित किया जाये।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भवन।
3. कलक्टर जिला जबलपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जबलपुर।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर। म.प्र. की ओर अग्रहित कर निर्देशित किया जाते हैं कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ली जाये कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्यान है। तथा स्थानान्तरित संस्था में विद्यमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्चर्य होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करने हुये दस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत कराये। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



लोक शिक्षण म.प्र.